–

प्रेस नोट **दिनांक 10.10.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

- **थाना रमाला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बासौली में हुई किशोर की हत्या की घटना में संलिप्त 04 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 04 डंडे बरामद।**

➢ घटना का सक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.06.2020 को वादी श्री पदम कुमार पुत्र आलम सिंह निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत ने थाना रमाला पर लिखित सूचना दी कि ग्राम बासौली में अभियुक्तगणों द्वारा आटा चक्की पर उसके परिवारजनो के साथ लाठी–डंडो व बन्दूक तमंचों से लेष होकर मारपीट कर चोट पहुंचाकर उसके पुत्र षेखर उम्र 17 वर्ष की हत्या कर दी है। इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 70/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 506, 120बी भादवि बनाम 1–विषान्त पुत्र राजबीर 2–हिमांषु उर्फ भूरा पुत्र राजकुमारव 3–विषु उर्फ विषाल पुत्र सुषील 4–विकास पुत्र सुषील 5–रितिक पुत्र संजीव उर्फ संजू 6–मोहित पुत्र कृष्णपाल षर्मा 7–षुभम उर्फ टोनी पुत्र नरेष 8–नितिन उर्फ सत्यम पुत्र राजकुमार 9–मंत्री उर्फ सनी पुत्र प्रवेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत व 20–22 लोग अज्ञात के विरूद्व पंजीकृत किया गया था। दिनांक 01.06.2020 को ही उक्त घटना में अभियुक्तों के साथी 1–सचिन उर्फ धर्मेन्द निवासी कस्बा व थाना दोघट 2–रचित उर्फ मोनू पुत्र दीपक निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत को मौके पर एकत्र भीड ने मारपीट कर चोट पहुंचाकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी।

➢ पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व में थाना रमाला पुलिस द्वारा प्रकाष मे आये तथ्यों व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 09.10.2020 को सायं समय करीब 04:10 बजे ग्राम बासौली रोड तिराहे से हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त 1–विकास पुत्र सुषील 2–रितिक पुत्र संजीव उर्फ संजू 3–षुभम उर्फ टोनी पुत्र नरेष 4–मंत्री उर्फ सनी पुत्र प्रवेन्द्र समस्त निवासीगण ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। दिनांक 01.06.2020 को ही षेखर की हत्या की घटना पर थाना रमाला पुलिस द्वारा जंगल ग्राम बासौली में टयूबवैल से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल 04 डंडे बरामद किये गये थे। अभियुक्तो के विरूद्व थाना रमाला पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ पूछताछ पर प्रकाष में आये तथ्य–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 01.06.2020 को रितिक से उसके दोस्त विशान्त पुत्र राजवीर ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, तथा विषान्त ने अपने सभी दोस्तों व रिस्तेदारों को शाम को पार्टी मे बुला रखा है। रितिक जब सायं काल समय करीब 05:00 बजे विशान्त के घर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही हिमांशु, विशु उर्फ विशाल, मोहित शर्मा, शुभम उर्फ टोनी, नितिन उर्फ सत्यम, विकास एवं अन्य दोस्तो को भी बुला रखा था। विशान्त का पिता राजवीर व हिमांशु का पिता राजकुमार भी घर पर मौजूद थे। उन्होने हमें बताया कि कल दिनांक 31.05.2020 को विशान्त, ओमप्रकाश कश्यप की आटा चक्की पर अपना आटा लेने गया था, ओमप्रकाश व उसके पुत्रों ने मिलकर विशान्त के साथ मारपीट की, और हमारा आटा भी नही दिया। विशान्त व उसके पिता ने कहा कि धीमरों ने गांव के बीच में मारपीट करके हमारी बेईज्जती की है जिसका हमे बदला लेना है। विशान्त ने हम सभी को शराब पिलाई और और मारपीट के लिए डण्डे भी दिए। हम सब लोग डन्डे लेकर विशान्त के साथ ओमप्रकाश की आटा चक्की पर गये। वहां पर हमें ओमप्रकाश के लड़के पुनित व सुमित मिले, हमने डन्डो से दोनो की पिटाई शुरु कर दी, शौर–शराबा सुनकर शेखर पुत्र पदम कश्यप आ गया। हमने शेखर को घेरकर लाठी डन्डो से पीटना शुरु

कर दिया जो घायल होकर गिर गया तभी मौहल्लो के लोगो ने आकर हमे घेर लिया। हम सभी इधर–उधर जान बचाकर भागने लगे तो, भागते समय हमारे दो साथी रचित उर्फ मोनू पुत्र दीपक निवासी ग्राम सूप व सचिन पुत्र धर्मेन्द्र निवासी कस्बा व दोघट को भीड ने मारपीट कर चोट पहुंचाकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। हम चारो ने खेतो के रास्ते भागे–भागते समय बीरवल पुत्र अमन सिंह नि0 बासौली की ट्यूबवैल पर अपने अपने डंडे फेक दिये और खेतो के रास्ते हम चारो अलग–अलग भाग गये। पकड़े जाने के डर से हम अपनी रिस्तेदारी में छिपकर रह रहे थे।

➢ **<u>अभियुक्त का नाम व पता–</u>**

1–विकास पुत्र सुषील निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।
2–रितिक पुत्र संजू उर्फ संजीव निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।
3–षुभम उर्फ टोनी पुत्र नरेष निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।
4–मंत्री उर्फ सनी पुत्र प्रवेन्द्र निवासी ग्राम बासौली थाना रमाला जनपद बागपत।

➢ **<u>बरामदगी का विवरण :–</u>**

1–घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 04 डंडे।

➢ **थाना खेकडा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू नाजायज बरामद।**

<u>थाना खेकडा–</u> पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर जंगल ग्राम फिरोजपुर बिजलीघर के पास से अभियुक्त अनिल पुत्र देवेन्द्र निवासी निरोजपुर एम्मा थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.10.2020 को ग्राम निरोजपुर एम्मा मे इन्द्रेषपाल पुत्र हरिकिषन निवासी ग्राम निरोजपुर एम्मा थाना खेकडा की पुत्री पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्व थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 391/2020 धारा 307, 504 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➢ **थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वांछित षराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद।**

<u>थाना सिंधावली अहीर–</u> पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर अमीनगर सराय पषु अस्पताल के पास से मु0अ0सं0 314/2020 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 315/2020 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम व 272, 273 भादवि में वांछित अभियुक्त गोपाल पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम गठीना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 04.10.2020 को जंगल ग्राम बसौद नहर पटरी के पास षराब तस्करो से हुई पुलिस मुठभेड में वांछित चल रहा था।

➢ **थाना चांदीनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पांची से गुमषुदा हुए 03 बालक पुलिस के सार्थक प्रयासों से सकुशल बरामद।**

दिनांक 08.10.2020 को जनपद बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पांची से 03 बालकों के गुमषुदा की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्परता से अभियोग पंजीकृत कर बालकों की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10.10.2020 को विशेष टीम के सार्थक प्रयासों से उक्त तीनों बालकों को सकुशल बरामद कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ पर तीनो बालक काम की तलाष में स्वयं घर से चले जाना प्रकाश में आया है। विस्तृत पूछताछ व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।